



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235932
CG-DL-E-21052022-235932

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2204]
No. 2204]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

का.आ. 2324(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में NH66 के कि.मी. 161.6 से कि.मी.205.4 (उपविभागीय कार्यालय खेड) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "३०/०३/२०२२" को "दैनिक सागर" और "दैनिक गोवा टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में NH66 के कि.मी. 161.6 से कि.मी.205.4 (उपविभागीय कार्यालय खेड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: रत्नागिरी					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: खेड				
	गांव का नाम: बोरज				
1	171/7 Part	निजी	अकृषिक	0.31	हनीफा इस्माईल हुसैनी (१७१/७ पैकी)
	गांव का नाम: कळंबणी बुद्रुक				
2	199/2C Part	निजी	कृषिक	0.05	सूनिल भार्गव सागवेकर (१९९/२क पैकी)
	गांव का नाम: खवटी				
3	53/18 Part	निजी	कृषिक	0.013	अनुसया सखाराम दळवी, अंकिता अनंत वामणे, मंदा अशोक हुलगज, नैना उत्तम बांदल, रजनी रमेश भिसे, महेंद्र रामचंद्र दळवी, जितेंद्र रामचंद्र दळवी, दिपाली रामचंद्र दळवी, लक्ष्मण जयराम दळवी, सीताबाई रामचंद्र दळवी, निर्मला राजाराम दळवी, धोंडीबाई तुकाराम सावंत, पुतलायजी राजाराम दळवी, स्वप्नाली किशोर दळवी, विश्वनाथ किशोर दळवी अपाक आई स्वप्नाली, वैष्णवी किशोर दळवी अपाक आई स्वप्नाली (५३/१८ पैकी)
4	62/1C Part	निजी	कृषिक	0.025	भिकाजी महादेव दळवी, रमेश महादेव दळवी, श्रीधर महादेव दळवी, अनंत महादेव दळवी, आशा कृष्णा पिसाळ (६२/१ क पैकी)
	गांव का नाम: लोटे				
5	96/2B Part	निजी	कृषिक	0.0125	ऋषिकेश भार्गव देशपांडे, स्वाती संदीप खोपकर, अश्विनी भार्गव देशपांडे,

					माधवी रघुवीर देशमुख, पौर्णिमा प्रशांत टिपणीस, शैलजा भार्गव देशपांडे (९६/२ब पैकी)
	गांव का नाम: वाळंजवाडी				
6	7/24B Part	निजी	कृषिक	0.036	अरविंद नरहर आपटे (७/२४ब पैकी)
	गांव का नाम: वेरळ				
7	470A/1 Part	निजी	कृषिक	0.015	विठोबा दगडू गोसावी, अनंत दगडू गोसावी, बाळकृष्ण दगडू गोसावी, विलास बंधु गोसावी, सुनंदा बंधु गोसावी, सिद्धि प्रभाकर शिरगावकर, जयंत भागोजी गोसावी, लक्ष्मी भागोजी गोसावी, वसंत भागोजी गोसावी, शांताराम भागोजी गोसावी (४७०अ/१ पैकी)
			कुल	0.4615	

[फा. सं. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2022

S.O. 2324(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH66 on the stretch of land from Km. 161.6 to Km. 205.4 (SDO office Khed) in the district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Dainik Sagar*” and “*Dainik Goa Times*” both dated 30/03/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH66 in the stretch of land from Km. 161.6 to Km. 205.4 (SDO office Khed) in the district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA District: RATNAGIRI					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Khed				
	Village: Boraj				
1	171/7 Part	Private	Non-Agricultural	0.31	Hanifa Ismail Husaini 171/7 Part
	Village: Kalambani Budruk				
2	199/2C Part	Private	Agricultural	0.05	Sunil Bhargav Sagvekar 199/2C Part
	Village: Khawati				
3	53/18 Part	Private	Agricultural	0.013	Anusaya Sakharam Dalvi, Ankita Anant Bamne, Manda Ashok Hulgaj, Naina Uttam Bandal, Rajani Ramesh Bhise, Mahendra Ramchandra Dalvi, Jitendra Ramchandra Dalvi, Dipali Ramchandra Dalvi, Laxman Jayram Dalvi, Sitabai Ramchandra Dalvi, Nirmala Rajaram Dalvi, Dhondibai Tukaram Sawant, Putalayaji Rajaram Dalvi, Swapnali Kishor Dalvi, Vishwanath Kishor Dalvi Apak Aai Swapnali, Vaishnavi Kishor Dalvi Apak Aai Swapnali 53/18 Part
4	62/1C Part	Private	Agricultural	0.025	Bhikaji Mahadev Dalvi, Ramesh Mahadev Dalvi, Shridhar Mahadev Dalvi, Anant Mahadev Dalvi, Asha Krushna Pisal 62/1C Part
	Village: Lote				
5	96/2B Part	Private	Agricultural	0.0125	Rushikesh Bhargav Deshpande, Swati Sandip Khopkar, Ashwini Bhargav Deshpande, Madhavi Raghuvir Deshmukh, Purnima Prashant Tipnis, Shailaja Bhargav Deshpande 96/2B Part
	Village: Valanjwadi				
6	7/24B Part	Private	Agricultural	0.036	Arvind Narhar Apte 7/24B Part
	Village: Veral				
7	470A/1 Part	Private	Agricultural	0.015	Vithoba Dagadu Gosavi, Anant Dagadu Gosavi, Balkrushna Dagadu Gosavi, Vilas Bandhu Gosavi, Sunanda Bandhu Gosavi, Siddhi Prabhakar Shirgaonkar, Jayant Bhagoji Gosavi, Laxmi Bhagoji

					Gosavi, Vasant Bhagoji Gosavi, Shantaram Bhagoji Gosavi 470A/1 Part
			TOTAL	0.4615	

[F. No. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3D]

RAJESH GUPTA, Director